144

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक- एफ 6-59/2010/18-3/ भोपाल, दिनांक 23.09.2015

प्रति,

1. आयुक्त,
नगर पालिका निगम,
समस्त (मध्यप्रदेश)।
2. मुख्य नगर पलिका अधिकारी,
नगर पालिका/नगर परिषद/
समस्त (मध्यप्रदेश)।

विषय: विभिन्न त्यौहारों पर पशुबध गृहों (Slaughter houses) को वंद रखने के संवध में।

संदर्भ (1)मान. उच्च्तम न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 5469/2005 हिंसा विरोधक संघ विरुद्ध मिर्ज़ापुर मोती कुरेश जमात एवं अन्य में आदेश दि. 14.3.2008 ।
(2)मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास का आदेशक्र.2248/2006/18-3 दिनांक 30.3.2007 ।

शासन के सदंर्भित आदेश दिनांक 30.03.2007 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें वर्ष में 17 विभिन्न विशिष्ट अवसरों पर स्थानीय नगरीय निकायों की सीमाओं में स्थित पशुबध गृह बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त निर्देश जारी किए जाने के पश्चात विभिन्न समूहों द्वारा समय-समय पर पशुवध गृह बंद रखने के लिए किए जाने वाले अनुरोध तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा संदर्भित आदेश में दिए गए आदेश के तारतम्य में निर्देशित किया जाता है कि शासन के संदर्भित आदेश द्वारा घोषित 17 दिवसों के अतिरिक्त अन्य अवसरों पर स्थानीय आकांक्षाओं/अपेक्षाओं एवं स्थितियों के अनुरूप तत्समय प्रचलित नियमों एवं उपविधियों के अंतर्गत नगरीय निकाय आवश्यकतानुसार पशुवध गृह बंद करने के लिए अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
23/9/15
(ओमप्रकाश श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

paths for High

T. C

145

क्रमांक- एफ 6-59-/2010 /18-3 /

भोपाल, दिनांक 23.09.2015

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
4. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

23/9/15

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

T. C